न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : नारायण सिंह चारण, (R.A.S)
अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 37/2012 (राजस्व अपील) दायर दिनांक 25.06.2012

1. श्री मूलचन्द पिता रामचन्द्र सुथार, निवासी पाछुन्दा, तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री लादूलाल पिता गोकल सुथार निवासी पछुन्दा, तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़

..... अपीलांटगण

बनाम श्री शम्भुलाल पिता बद्रीलाल ब्राहमण निवासी पाछुन्दा, तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, बेंगू बमिसल नं. 01/2012 निर्णय दिनांक 31.05.2012 को निरस्त करने हेतु ।

उपस्थित अधिवक्ताः– अपीलांटगण :– श्री छोगालाल जाट
रेस्पोडेंट :– श्री सत्यनारायण ईसाणी

निर्णय **दिनांक 24.01.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट ने मौजा ग्राम धुलखेडा की आराजी नम्बर 845/113, आराजी नम्बर 846/114, कुल किता 2 रकबा 0.35 हैक्टर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खातेदारी की होना व इस आराजी पर आने जाने का रास्ता धुलखेडा की आराजी नम्बर 108,109,110,111,115 की दक्षिणी मेड परी अवस्थित होना व उक्त आराजीयात बेलानाम आराजी नम्बर 93 तक पहुचना व ग्राम पाछुन्दा की तरफ जाने के लिए उक्त बिलानाम रास्ते का उपयोग कर आराजी नम्बर 91 तक पहुचना बताया व यह भी तथ्य अंकित किया कि आराजी नम्बर 91 अपीलान्ट/विपक्षीगण के खातेदारी की है। इसमें कदीमी रास्ते से हाकर निकलने के लिए अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोडेन्ट का रास्ता अवरूद्ध किया जाता है। जबकि उक्त आराजीयात पर कभी भी रास्ता नही रहा

है न ही राजस्व रेकार्ड में रास्ता ही है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण/ विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्टगण/ विपक्षीगण की ओर से दिनांक 11.05.2012 को जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया 115,111,110,109,108 की दक्षिणी मेड पर रास्ता होना स्वीकार किया व आराजी नम्बर 91 के रास्ते को रोकना सही बताया परन्तु यह तथ्य अंकित किये कि आराजी नम्बर 91 रास्ता नही होकर अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि है, जिस पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को नये सीरे से रास्ता कायम करने का किसी प्रकार से कोई हक नही है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर आराजी नम्बर 91 से आराजी नम्बर 28 व ग्राम किशोरपुरा के खातेदारी की भूमि का उपयोग होना सही मानते हुए आराजी नम्बर 93 व आराजी नम्बर 91 में से होकर 10 फीट का रास्ता मानते हुए रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। जिसमें विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा दिनांक 18.01.2018 को प्रकरण पर पैरवी करने से इन्कार किया।

प्रकरण पर वकील प्रार्थी बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार बेंगू का आदेश दिनांक 31.05.2012 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 251 के तहत् प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और आराजी संख्या 91 की दक्षिणी दिशा मेड पर रास्ता खोला जबकि वहा पर कोई रास्ता ही नही है। यह हमारी खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट इस आराजी का खरीददार है तथा जमीन खरीद कर हमारे खसरा नम्बर पर रास्ता मांगकर प्रार्थना पेश कर निर्णय करवाया है। हमारा विक्रेता प्यारचन्द का शपथ पत्र पेश किया है जिससे रेस्पोडेन्ट ने आराजीयात क्रय किये है। क्रेता पाछुन्दा का है और पाछुन्दा धुलखेडा रास्ता जाता है जबकि विक्रेता धुलखेडा से ही धुलखेडा जाता होगा

क्योंकि आराजी भी धुलखेडा में ही है। विक्रय पत्र से भी इस आराजी भूमि पर जाने का रास्ता खसरा नम्बर 91 से होकर जाने का कोई उल्लेख नही है। इस खसरा नम्बर के संबंध में उपखण्ड न्यायालय बेंगू में अन्तर्गत धारा 188 का दावा डिक्रि हुआ है कि इन खसरा नम्बर में विपक्षी कोई दखल नही करें इसमें खसरा नम्बर 91 भी शामिल है। 188 दावे की डिक्रि विक्रय पत्र, शपथ पत्र, विक्रेता पेश किये है। अतः अपील स्वीकार कर तहसीलदार बेंगू का उक्त निर्णय निरस्त किया जावें।

पत्रावली पर वकील प्रार्थी के बहस के तथ्यों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं पर्चा तौकिा दिनांक 30.04.2012 में उल्लेख किया है कि मूल आराजी ग्राम धुलखेडा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा श्री प्यारचन्द पिता किशना धाकड, एवं श्री मेघा व भज्जा धाकड से खरीदी थी। उक्त भूमि मूल आराजी संख्या 113 व 114 से पूर्व की ओर स्थित ग्राम धुल खेडा की आराजी नम्बर 115, 111 110,109, एवं 108 की दक्षिणी मेड पर होते हुए आगे चलकर आराजी नम्बर 93 बिलानाम रास्ते तक पहुचता है। जिस पर किसी प्रकार का विवाद नही है। इसके बाद खसरा नम्बर 93 बिलानाम रास्ते में उत्तर दिशा की ओर चलता है जो कि आगे चलकर खसरा नम्बर 91 खातेदारी की भूमि पर मिलता है। मौके पर कदीमी रास्ते के निशानात है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनो ही पाछुन्दा पहुंचने के लिये इसी कदीमी रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है। दूसरी और खसरा नम्बर 93 बिलानाम रास्ता ग्राम धुलखेडा की ओर भी जाता है जिससे आगे दक्षिण में चलने पर खसरा नम्बर 118 खातेदारी की भूमि पर कदीमी रास्ता एवं पुनः आराजी नम्बर 167 बिलानाम रास्ते में मिलता है जो धुलखेडा ग्राम को मिलता है। इस प्रकार दोनो तरफ जाने के लिये कदीमी रास्ते से होकर गुजरना पडता है। तहसीलदार बेंगू द्वारा अपने प्रकरण संख्या 1/2012 अनवान शम्भूलाल बनाम मूलचन्द वगैराह निर्णय दिनांक 31.05.2012 में निर्णय पारित किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर आने-जाने के लिये मौजा धुलखेडा के खसरा नम्बर 115, 111, 110, 109, 108 की दक्षिणि मेड पर स्थित कदीमी रास्ते का

उपयोग कर खसरा नम्बर 93 बिलानाम रास्ते तक पहुचने के लिये 10 फीट व खसरा नम्बर 91 में से होकर पाछुन्दा की ओर जाने के लिये 10 फीट मौके पर स्थित कदीमी रास्ते का उपयोग करने का सुखाधिकार आरटी एक्ट 1955 की धारा 251 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिया जाता है क्योंकि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में बनी रहेगी। प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग कृषि कार्य के लिये ही करेगा।

प्रकरण पर वकील प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार बेंगू द्वारा पारित निर्णय के संबंध में किसी प्रकार का ठोस जवाब अथवा सबूत प्रस्तुत नही किये तथा न ही कोई उचित कारण दर्शाया गया है कि तहसीलदार बेंगू द्वारा पारित निर्णय विधि विपरीत है। प्रकरण पर विपक्षीगण द्वारा भूमि को क्रय की है तथा पर्चा मौका में उक्त वर्णित नाराजीयात पर आने-जाने हेतु कदीमी रास्ते का उपयोग उभयपक्ष द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर तहसीलदार बेंगू के प्रकरण संख्या 1/2012 अनवान शम्भूलाल बनाम मूलचन्द वगैराह निर्णय दिनांक 31.05.2012 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शरिश्ता दफ्तर की जावे।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौडगढ़